न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली

पीठासीन अधिकारीः सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रभुराम पुत्र चेलाराम जाति रेबारी निवासी वेलार तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

GCMS प्रकरण संख्या :–

बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनॉक 27-06-22

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार में खसरा नम्बर 349/11 रकबा 1.00 हैक्टर स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रस्तुत की। राजस्व रेकर्ड के कम्प्युटरीकरण (सेग्रीकेशन) के दौरान गत नक्शे से नया नक्शा तैयार करते समय नक्शें की आकृति में परिवर्तन कर दिया गया है, जो मौके के अनुरूप नहीं हैं। इस कारण प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान् में अनावश्यक विवाद होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम वेलार में खसरा नम्बर 349/11 रकबा 1.00 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड अर्थात नक्शा के कम्प्युटरीकरण (सेग्रीकेशन) से पूर्व के नक्शें एवं मौके की स्थिति के अनुसार वर्तमान नक्शें को संशोधित करवाते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे की आकृति में सेग्रीकेशन के दौरान त्रुटी हुई है, जिसे सुधारा जाना विधि अनुसार न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम वेलार में खसरा नम्बर 349/11 रकबा 1.00 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड अर्थात नक्शा के कम्प्युटरीकरण (सेग्रीकेशन) के दौरान गलत तरमीम होने से वर्तमान नक्शें को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश मय संलग्न नजरी नक्शा की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ़्तर होकर नम्बर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 27-06-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner